रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218790
CG-DL-E-19032020-218790

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1000] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941
No.1000] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का.आ. 1107(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2046(अ) तारिख 21.06.2019 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर -चंपा जिले में NH-200 (नई NH-49) के कि.मी. 178.944 से कि.मी. 240.00 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "12.07.2019 " को "दैनिक भास्कर" और "मुलमंत्र" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चंपा जिले में NH-200(नई NH-49) के कि.मी. 178.944 से कि.मी.240.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़		**जिले का नाम: जांजगीर -चंपा**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सक्ती				
	गांव का नाम: बोरदा				
1	142 / 2	निजी	कृषि	0.061	विष्णुदयाल , विजय कुमार, श्याम सुन्दर, आनंद कुमार पिता रूपचंद सा . दे. भू . स्वामी (१४२/२)
2	200 / 1	निजी	कृषि	0.04	दीपक सिंह पिता चन्द्रिका सिंह सा. दे. भू. स्वामी (२००/१)
	गांव का नाम: रजगा				
3	146, 548 / 1, 250 / 3, 250 / 4	निजी	कृषि	0.093	बाबूलाल पिता वीर सिंह सा. दे. भू. स्वामी (१४६, ५४८/१,२५०/३ ,२५०/४)
			कुल	**0.194**	

[फा.सं RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA/3D3]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORTAND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O. 1107(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2046(E) dated 21.06.2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-200 (New

NH-49) on the stretch of land from Km. 178.944 to Km. 240.000 Tehsil Sakti in the district of JANJGIR -CHAMPA in the state of CHHATTISGARH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Danik Bhaskar" and "Mool Mantra" both dated 12.07.2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-200(NEW NH-49) in the stretch of land from Km. 178.944 to Km. 240.00 Tehsil Sakti in the district of JANJGIR-CHAMPA in the state of CHHATTISGARH.

State: CHHATTISGARH		**District: JANJGIR -CHAMPA**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sakti				
	Viilage: Borda				
1	142 / 2	Private	Agriculture	0.061	Vishnudhyal, Vijay kumar, Shyam sunda , Anand kumar s/o pita Rupchand sa. deh. bhu. Swami 142/2
2	200 / 1	Private	Agriculture	0.04	Deepak singh s/o Chandrika singh sa. deh. bhu. Swami 200/1
	Viilage: Ragja				
3	146, 548 / 1, 250 / 3, 250 / 4	Private	Agriculture	0.093	Babulal s/o Veer singh sa. deh. bhu. Swami 146, 548/1, 250/3, 250/4
			TOTAL	**0.194**	

[F. No. RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA/3D3]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.19 16:55:05 +05'30'